


बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

पटना, दिनांक 15 / 5 / 2017

सं०सं०-17/ए 2-06/2014 - 265 (17) /स्वा०, प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के ज्ञापांक-1132 दिनांक 03.04.2017 से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में डा० आशुतोष कुमार सिन्हा, सहायक प्राध्यापक (संविदा), कार्डियोलॉजी, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना का कार्य एवं आचरण असंतोषजनक पाये जाने के कारण डा० सिन्हा की संविदा रद्द करते हुये उनको कार्यमुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(सच्चिदानन्द चौधरी) 2/5/17
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक :-17/ए 2-06/2014 - 265 (17) पटना, दिनांक :- 15/5/17

प्रतिलिपि :-महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै० दा० नि० को०) विभाग बिहार, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्राचार्य, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को उनके ज्ञापांक-1132, दिनांक 03.04.2017 के आलोक में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


आप निदेशित हैं कि नियमानुसार डा० सिन्हा को कार्यमुक्त कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित करेंगे।

प्रतिलिपि :-डा० आशुतोष कुमार सिन्हा, सहायक प्राध्यापक (संविदा), कार्डियोलॉजी, नालन्दा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के निजी सहायक/ विशेष सचिव, स्वास्थ्य विभाग/ उप निदेशक (चिकित्सा शिक्षा)/ निदेशक प्रमुख, (प्रशासन), स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/ विशेष कार्य पदाधिकारी, (प्रभारी प्रशाखा-17) स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-प्रशाखा पदाधिकारी, 1 एवं 17 को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :-आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।


12/5/17
सरकार के विशेष सचिव।